29/09/25

प्रस्तुत प्रश्न हमारी वकील वादी हमारा वकील वादी के द्वारा पेश पत्र विद्वान प्रा० न्या० अधिनियम प्रस्तुत पेश हमारी वकील वादी प्रार्थी ने उपस्थित होकर लिखित लिखा कि विवाद को आगे नहीं चलाना चाहता है। वादी स्वयं हाजिर है जिसकी पहचान वादी अधिवक्ता श्री प्रदीप चौधरी की। प्रा० न्या० प्राधिकरण का अधिवक्ता वहाँ पर मौजूद है। अतः पत्रावली पर आयोजक यह पाता है कि आदेश 23 नियम सि०प्र०सं० में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार वाद समाधान किए जाने के पश्चात किसी भी समय वादी अपने वाद का प्रत्याहरण कर सकता है।

अतः प्रार्थना पत्र आज वाद विद्वान किसी जाने की आज्ञा में स्वीकार किया जाता वादी का वाद खारिज किया जाता पत्रावली नस्ती करते कार्यालय फैसला सुनाया गया।

[illegible]

उपरोक्त नाम

सहायक कलक्टर
नागपुर शहर प्रथम